

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 241.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में अवर सचिव (योजना) के पद पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग अवर सचिव (योजना) भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हता.**—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
अवर सचिव (योजना)	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 10000-325-15200	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
11	12		
प्रतिनियुक्ति	<p>1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :—</p> <p>(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या</p> <p>(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000—13500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री</p> <p>(ii) आर्थिक योजना बनाने और विकास स्कीमें/परियोजनाएँ तैयार करने में पांच वर्ष का अनुभव</p> <p>2. विभागेतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय अनुसंधान अधिकारी (योजना) पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए यदि उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।</p> <p>(विभागीय अधिकारी, जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नतित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
13	14		
लागू नहीं	पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।		

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/9/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A') Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Under Secretary (Planning) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Under Secretary (Planning) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-servicemen in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6
Under Secretary (Planning)	01* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	Not applicable

20609/05-5

Age limit for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Deputation	<p>1. Officers under the Central Government or State Government or Union Territories :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Five year's experience in the economic planning and formulation of development schemes/projects.</p> <p>2. The Departmental Research Officer (Planning) with five years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F.No. NEC/ADM/9/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.